गलीचा उद्योग के लिए गुडवीव का व्यापक स्टेण्डर्ड

स्टेण्डर्ड के विकास का सार्वजनिक सार

परिचय

हाथ से बने हुए कारपेट उद्योग मे गैर कानूनी रूप से संलग्न बाल मजदूरी को खत्म करने के रगमार्क इन्टरनेशनल (आरएमआय) की योजना में 2009 में गुडवीव प्रोग्राम[टीएम](GoodWeave™) और सर्टिफिकेशन लेबल की शुरूआत ने एक नया अध्याय शुरू हुआ । बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने और परंपरागत कालीन और गलीचा निर्माण के 15 वर्षो के बाद, आरएमआय ने RugMark® प्रमाणीकरण लेबल और लोगो को चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया । इसे नये गुडवीव ब्राण्ड के साथ बदला और अपने प्रमुख उद्देश्य को मजबूती और बढ़ावा देने के लिए एक योजना भी तैयार की । गलीचा उद्योग के लिए एक नये सामान्य स्टेण्डर्ड का विकास इस बदलाव का एक प्रमुख हिस्सा हैं ।

गुडवीव[1] की स्थापना के साथ ही दक्षिण एशियाई कालीन उद्योग में बाल श्रमिकों को कम करने के कार्य में महत्वपूर्ण काम हुआ है । गुडवीव का लक्ष्य है, दूसरे उद्योगों से भी बाल श्रमिकों को दूर करने में सहायता देना और हर बच्चे को स्कूल जाने का एक अवसर प्रदान करना । जबकि एक ओर गुडवीव का यह उद्देश्य बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धान्तों के अनुसार हैं, वहीं दूसरी ओर एक बढ़ती हुई मान्यता यह हैं कि बाल श्रमिकों की समस्या वयस्कों की कार्य की स्थितियों और पर्यावरणीय प्रबंध के साथ जुड़ी है ।

इसके साथ ही पिछले दशक के दौरान पश्चिमी बाजारों में भी बहुत से बदलाव आये हैं । वितरकों की आचार संहिता तेजी से सामान्य होती जा रही हैं और ग्राहक भी परंपरागत लेबल्स को पहले से कहीं अधिक मान्यता दे रहे हैं ।

कालीन की बुनाई करने वाले समुदायों में बच्चों और परिवारों की बेहतर सेवा के लिए और बदलते बाजारों के अनुसार ढलने तथा अपने स्टेण्डर्ड की जरूरतों के अनुसार गुडवीव प्रमाणीकरण एक नया तथा और अधिक व्यापक सेट तैयार कर रहा हैं । नवीन स्टेण्डर्ड के विकास के दौरान, गुडवीव लेबल निर्देश अब और भी कठोर और पारदर्शी होंगें, और इनमें एक से अधिक स्टेकहोल्डर परामर्श प्रक्रिया होगी जिनमें कारीगर, निर्माता, आयातक, रिटेलर, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सहित तकनीकी जानकारी भी शामिल होगी ।

---

[1] RMI ने 2009 में अपने प्रमाणीकरण लेबल को रि–ब्राण्ड करते हुए गुडवीव का रूप दिया । 2010 में संगठन भी गुडवीव के नाम से रिब्राण्ड हो जाएगा और इस सार के प्रयोजन के लिए, प्रमाणीकरण लेबल और संगठन का सन्दर्भ देते समय गुडवीव का नाम ही प्रयोग किया जाएगा ।

<u>गुडवीव के कार्य</u>

यदि पर्याप्त संख्या में लोग किसी दूसरे कालीन के बजाय एक ऐसा कालीन खरीदने का निर्णय लें जो बाल श्रम के बिना बना हो तो रिटेलर और आयातक उत्पादक देश इनके निर्माताओं से सिर्फ बाल श्रम मुक्त गलीचों की ही मांग करेंगें । यही गुडवीव का परिवर्तन सिद्धान्त हैं । इसका भारी असर होगा ओर बाजार में इसकी भारी मांग हो जाएगी : व्यवसाय गुडवीव प्रमाणीकरण प्रोग्राम के साथ साइन करेंगें क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता में बने रहने की जरूरत है और क्योंकि वे बाल श्रम के समाधान की जरूरत को समझते हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो गुडवीव बाजार में बालश्रम से बने गलीचों की मांग को कम करते हुए इसे प्रमाणित बाल श्रम मुक्त गलीचों की मांग के साथ बदल देगा ।

पांच देशों में फैला गुडवीव का नेटवर्क, निर्माता देश (भारत और नेपाल) तथा ग्राहक देश (यूएस, यूके तथा जर्मनी) में चल रहा है और यह अपने उद्देश्य को इनके जरिये पूरा कर रहा है :

- <u>स्टेण्डर्ड निर्धारण</u> – गुडवीव ने स्टेण्डर्ड की स्थापना प्रमाणीकरण लेबल पर की है । वर्तमान स्टेण्डर्ड की प्रमुख आवश्यकता यह है कि वहां कोई गैर कानूनी बाल श्रम न हो । यह मानते हुए कि बाल श्रम एक जटिल मुद्दा हैं और इससे अलग रहते हुए इसका समाधान नहीं किया जा सकता है, गुडवीव के स्टेण्डर्ड का विस्तार करते हुए फिलहाल इसमें अतिरिक्त मानवीय तथा पर्यावरणीय मानदण्डों को शामिल किया गया है ।
- <u>जांच तथा प्रमाणीकरण</u> – इसके निरीक्षक आकस्मिक तथा अनियमित तौर पर दक्षिण एशिया में स्थित लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के यहां जाते हैं । गुडवीव के साथ जुड़ने और इसके सख्त 'कोई बाल श्रमिक नहीं' मानकों को पूरा करने वाली कंपनियों को उनके कालीनों के लिए एक अनूठा, मिलान करने योग्य प्रमाणीकरण लेबल जारी किया जाता है ।
- <u>बाल कारीगरों का पुनर्वास और शिक्षा</u> – गुडवीव निरीक्षक, गैर कानूनी बाल श्रम में संलग्न बच्चों को मुक्त कराते हैं जिन्हें पुनर्वास, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा (इसके पूरा होने पर) रोजगार भी दिलवाया जाता है । जब कभी संभव हो बच्चों को उनके परिवारों में शामिल कर दिया जाता है । आज दिनांक तक, गुडवीव ने बुनाई करघों से 3,600 से ज्यादा बच्चों को मुक्त कराया है और हजारों बच्चों को वहां पहुंचने से बचाया है ।
- <u>बाल श्रम की रोथाम</u> – बाल श्रम की रोकथाम के लिए गुडवीव अनेक सीधे उपाय करता हैं, निर्माता समुदायों के सभी स्तरों पर जागरूता कार्यो, झूलाघर का प्रावधान, कालीन बुनकरों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा तथा उन बच्चों के लिए स्कूल की प्रायोजकता जो कार्य पर जाने के जोखिम से ग्रस्त हैं ।
- <u>बाजार संवर्द्धन तथा विस्तार</u> – अमेरिका और यूरोप में स्थित गुडवीव कार्यालय ग्राहक जागरूकता अभियान आयोजित करते हैं तथा गुडवीव लेबल वाले बाल श्रम मुक्त प्रमाणिक उत्पादों को रखने के लिए आयातक और रिटेलर्स को नियुक्त करते हैं ।
- <u>अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण तथा दायित्व</u> – उत्पादक तथा ग्राहक देशों की एक प्रतिनिधि परिषद अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क तथा मानकों पर नियंत्रण का कार्य करती हैं ।

गुडवीव का मानना है कि आखिरकार अपने खुद के नियमों के लिए उद्योग को स्वयं भुगतान करना चाहिए और इसलिए इसे एक स्व–वित्त मॉडल के रूप में प्रारंभ किया गया । ऐसे आयातक तथा निर्यातक शिपमेन्ट के निर्यात मूल्य का कुल 1.25 से 2 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते हैं जो अपने गलीचों पर गुडवीव लेबल का इस्तेमाल करते हैं । इस शुल्क का अधिकांश हिस्सा दक्षिण एशिया में सामाजिक कार्यक्रमों के लिए खर्च किया जाता है जबकि बचा हुआ पैसे का प्रयोग ग्राहकों में जागरूकता लाने और एक ऐसा बाजार विकसित करने में किया जाता है जहां बाल श्रम मुक्त प्रमाणीकरण की मांग हो और यह उपलब्ध हो ।

नवीन स्टेण्डर्ड – तर्क और प्रारंभिक निष्कर्ष

2006 के दौरान आरएमआय ने गलीचा उद्योग के लिए एक नये अन्तर्राष्ट्रीय स्टेण्डर्ड की जरूरत पर जांच शुरू की । इसी समय प्रमाणीकरण कार्यक्रम और लेबल का नाम भी गुडवीव रखने का निर्णय लिया गया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मानकों में परिवर्तन होते रहेंगें तथा भविष्य में संगठन का विस्तार नये निर्माण क्षेत्रों में भी होगा । 2007 में एक शोध पत्र पढ़ा गया जो भारत तथा नेपाल में हुए क्षेत्रीय अनुसंधान पर आधारित था और इसके साथ ही अन्य विद्यमान मानकों पर एक डेस्कटॉप शोध भी प्रस्तुत हुआ, जिसमें बताया गया था कि :

- अनेक क्षेत्रों में अब भी गलीचा उद्योग एक ''कुटीर उद्योग'' ही है जहां पर मजदूरी नग के आधार पर दी जाती है और कोई नियमित रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती ।
- बहुत सी छोटी निर्माण इकाईयों में प्रबंधन प्रणालियों या रिकार्ड रखने की कोई परिपाटी नहीं हैं और इसलिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान पर कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं हैं ।
- पर्यावरणीय प्रभावों में धुआं उत्सर्जन, धोने और रंगने के प्लान्ट्स से निकला अनुपचारित प्रवाह तथा गलत अपशिष्ट निपटान शामिल हैं ।
- दक्षिण एशिया में गलीचा निर्माण के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के समाधान के लिए कोई अन्य विद्यमान स्टेण्डर्ड नहीं हैं ।

इसके अतिरिक्त, नेपाल में नवंबर 2008 तथा मई 2009 के बीच निर्यातकों के साथ एक प्रायोगिक परियोजना में प्रदर्शित हुआ कि :

- नेपाल में पर्याप्त रोजगार तथा पर्यावरणीय नियमावली विद्यमान हैं परन्तु वास्तव में वहां पर कोई सरकारी प्रभाव नहीं हैं । सरकारी मंत्रालयों ने संकेत दिये हैं कि वे स्वैच्छिक अनुपालन उपायों का स्वागत करेंगें ।
- साधारण जल उपचार प्रणालियों को शुरू करने से कुछ हानिकारक उत्सर्जन कम हो सकते हैं । एक शुरूआती पर्यावरणीय मूल्यांकन में प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों में धुलाई और रंगने वाले प्लान्ट्स से निकले अम्लीय अपशिष्ट जल का प्रभाव देखा गया है और जैविक ऑक्सीजन की मांग (Biological Oxygen Demand (BOD) तथा रसायनिक ऑक्सीजन की मांग (Chemical Oxygen Demand (COD) की बहुत ऊँची दरों से जल की गुणवत्ता को नुकसान भी पहुंचा हैं ।
- वहां बहुत से कार्य स्थलों पर सौर ऊर्जा का प्रारंभ किए जाने की संभावना हैं और इससे निर्माताओं की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में बिजली की विकट कमी का सामना कर रहे हैं और अक्सर ज्वलनशील अस्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करते हैं । इसमें आगे और भी अनुसंधान की जरूरत हैं ।

- बहुत सी बुनाई इकाईयों में कारीगरों के लिए विद्यमान सामाजिक स्टेण्डर्ड बहुत कमतर हैं और बुनियादी प्रबंधन प्रणालियों, काम के घण्टों का उचित रिकार्ड रखने और इसके साथ ही पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रशिक्षण द्वारा समूचे उद्योग को फायदा पहुंच सकता हैं ।

<u>नवीन स्टेण्डर्ड</u>

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्टेण्डर्ड के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. हस्त निर्मित गलीचा उद्योग में गैर कानूनी बाल श्रम को खत्म करना तथा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना ।
2. कारीगरों के जीवन, कार्य स्थितियों और पूरे उद्योग पर समग्र रूप से एक सकारात्मक प्रभाव, और इस तरह अर्थव्यवस्था का एक जरूरी अंग बनने और उसे बढ़ावा देने तथा रोजगार का एक प्रमुख क्षेत्र बनने में मदद
3. यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम की वजह से समुदाय में परिवर्तन हो रहे हैं ।
4. एक सुसंगत तथा सतत स्टेण्डर्ड प्रदान करना जिसे सभी गलीचा निर्माता देशों में लागू किया जा सके और जिसमें उत्पादन की विभिन्न विधियों का ध्यान रखा जाए ।
5. कार्य की स्थितियों की पारदर्शी जांच और सत्यापन के लिए सहयोग प्रदान करना ।
6. दुनिया भर के गलीचा उपभोक्ताओं के लिए एक स्वतंत्र विश्वसनीयता (लेबल) प्रदान करना ।

स्टेण्डर्ड का प्रस्तावित प्रारूप इस प्रकार हैं :

- प्रवेश की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ एक प्रगति मानक, जिसमें गैर कानूनी बाल श्रम की रोकथाम के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी के भुगतान और बुनियादी पर्यावरणीय और स्वास्थ तथा सुरक्षा स्थितियां भी शामिल होगी ।
- सभी गलीचा निर्माताओं के लिए लागू सामान्य विषय सामग्री जो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों (International Labour Organization (ILO)) के प्रावधानों और साथ ही उद्योग के लिए गुडवीव द्वारा चिन्हित पर्यावरणीय मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार होगी ।
- फेक्टरी उत्पादन, ग्राम आधारित बुनकरों, बाजार/मार्केट खरीदी आदि जैसे उत्पादन के विभिन्न प्रकारों पर आधारित विशेष विषय सामग्री ।
- यह अपेक्षा कि गलीचा निर्माता सतत सुधार करेंगें ।
- शिकायत प्रणाली जिसमें कारीगरों और दूसरे लोगों द्वारा बेनामी शिकायतों के लिए भी प्रावधान होगा जहां मानकों का उल्लंघन देखा गया हैं ।
- ऐसी स्थितियों के लिए एक खास गैर अनुपालन प्रणाली तैयार करना जहां मानदण्ड के उद्योग–वार उल्लंघन के लिए एक राष्ट्रीय समाधान की जरूरत है ।

नवीन प्रणाली के प्रस्तावित सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

1. किसी बाल श्रमिक की अनुमति नहीं हैं ।
2. किसी मजबूर या बंधक श्रमिक की अनुमति नहीं हैं ।
3. संघ की स्वतंत्रता और संयुक्त भावताव की मान्यता हैं ।
4. कोई भेदभाव नहीं होगा ।
5. अच्छी कार्य स्थितियां होगी
   अ) कार्य स्थल की स्थितियां
   ब) मजदूरी
   स) कार्य के घण्टे
   द) कोई कठोर या अमानवीय व्यवहार नहीं
6. उत्पादन के ऋणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान की जाएगी तथा उन्हें न्यूनतम किया जाएगा ।
7. व्यवसाय की प्रक्रियाएं पारदर्शी होती हैं और स्थानीय नियमों के अनुरूप होते हैं ।

जैसा कि वर्तमान स्टेण्डर्ड के साथ हैं, निर्माता अपनी फेक्टरियों, निर्माण स्थानों और उप ठेकेदारों को स्थानीय गुडवीव कार्यालय के साथ रजिस्टर करेंगें और सभी सुविधाओं का एक शुरूआती निरीक्षण किया जाएगा । यदि यह सन्तोषप्रद हैं तो निर्माता को रजिस्टर कर दिया जाएगा और उन्हें गुडवीव लेबल इस्तेमाल करने की अनुमति देने विषयक एक लाइसेंस अनुबंध हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा । सभी लाइसेंस धारकों के लिए चल रहे निरीक्षणों के लिए एक दोहरी प्रणाली लागू की जाएगी । यह सुनिश्चित करने के लिए एक सालाना प्रबंधन समीक्षा की जाएगी कि लाइसेंस धारक स्टेण्डर्ड की आवश्यकतानुसार प्रगति कर रहा है – ये प्रगति के लक्ष्य संपर्क प्रबंधक द्वारा एक वैयक्तिक आधार पर निर्धारित किए जाएंगें और इनके लिए कंपनी के आकार तथा संसाधनों को ध्यान में रखा जाएगा । इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बालक काम नहीं कर रहे हैं, नियमित आधार पर आकस्मिक निरीक्षण भी किए जाएंगें ।

प्रारंभ में नवीन स्टेण्डर्ड सिर्फ गुडवीव क्रियान्वित संगठनों पर ही लागू होंगें परन्तु बाद में ये गलीचा उद्योग के लिए एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्टेण्डर्ड बन सकते हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पालन हो रहा हैं, गुडवीव इन्टरनेशनल सोशल एण्ड इन्वार्नमेन्टल एक्रेडिटेशन एण्ड लेबलिंग (आयएसईएएल/ISEAL) एलियांस का एक असोसिएट मेम्बर हैं ओर नये अन्तर्राष्ट्रीय स्टेण्डर्डके विकास के जरिये यह ISEAL (Standard Setting Code of Good Practice) / (स्टेण्डर्ड अच्छे अभ्यास का सेटिंग कोड) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा हैं ।
(देंखें http://www.isealalliance.org/content/standard-setting-code)

नये स्टेण्डर्ड की ओर प्रगति

2007 से ही गुडवीव नये मानकों के विकास के लिए कार्य कर रहा है ।

1. 2007 में गुडवीव ने एक शोध पत्र तैयार किया और स्टेकहोल्डर्स तक पहुंच बनायी । इसके बाद नये स्टेण्डर्ड का ढांचा और मानदण्ड प्रस्तावित किए गए । (ऊपर देखें)
2. 2008 में गुडवीव ने सात गुडवीव निर्यातकों के साथ काम करते हुए नेपाल में एक प्रायोगिक अध्ययन किया । प्रायोगिक परियोजना के अन्तिम परिणाम 2009 की शरद ऋतु में प्रस्तुत किए गए ।
3. जून 2008 में गुडवीव ISEAL Alliance का एक असोसिएट मेम्बर बना और जून 2011 तक एक पूर्ण सदस्य बनने की योजना हैं ।
4. 2009 में, गुडवीव ने मानक–सेटिंग्स के लिए नवीन नीतियां विकसीत की :
   अ. ऑपरेटिंग प्रोसीजर (ओपी) – अच्छे बुनाई मानकों का विकास (वर्तमान संस्करण http://www.goodweave.net/documents/13 पर ऑनलाईन उपलब्ध है, तथा
   ब. ऑपरेटिंग प्रोसीजर (ओपी) – अच्छे बुनाई मानकों के विरूद्ध शिकायत (वर्तमान संस्करण http://www.goodweave.net/documents/13 पर ऑनलाईन उपलब्ध है
5. जुलाई,2009 में गुडवीव ने नया गुड वीव लेबल प्रस्तुत किया ।
6. नवंबर, 2009 में गुडवीव ने स्टेण्डर्ड विकास और स्टेकहोल्डर परामर्श प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए एक स्टॉफ मेम्बर नियुक्त किया ।

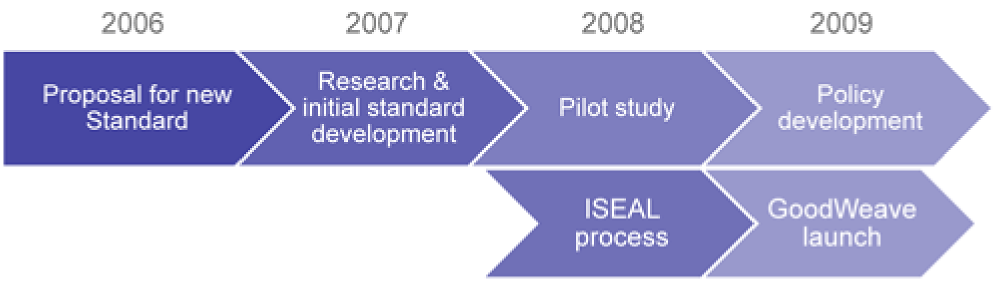

2010 में, निम्न कार्य प्रारंभ किए गए :

1. जनवरी 2010 में, गुडवीव ने नये लेबल के लिए मानकीय विकास प्रक्रिया हेतु एक स्टेण्डर्ड्स कमेटी (एससी) गठित की । एससी के सदस्य प्रमुख स्टेकहोल्डर्स, जिसमें गुडवीव के मेम्बर्स सहित निर्माता, आयातक, रिटेलर्स, बाल अधिकार पर वैयक्तिक विशेषज्ञ, वयस्क कारीगर और पर्यावरण शामिल हैं ।
2. फरवरी में, गुडवीव ने सार्वजनिक परामर्श के लिए मानकों का एक मसौदा तैयार किया और इसे गुडवीव की वेबसाईट (www.goodweave.net)पर प्रकाशित किया ।
3. परामर्श का पहला राउण्ड 3 मार्च – 1 मई के बीच हुआ जिसमें गुडवीव ने नये स्टेण्डर्ड के मसौदे पर फीडबेक और सुझाव प्राप्त करने के लिए स्टेकहोल्डर की बैठक आयोजित की । इस विधि के दौरान, इसमें दिलचस्पी रखने वालों से कोई 300 व्यक्तिगत टिप्पणियां प्राप्त हुई । सार्वजनिक परामर्श के नतीजों को विस्तार से प्रस्तुत करने वाली एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जो standards@goodweave.net पर अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराई जा सकती है ।
4. मई में एससी ने सार्वजनिक परामर्श के नतीजों की समीक्षा की और स्टेकहोल्डर के इनपुट के आधार पर स्टेण्डर्ड के मसौदे को संशोधित किया ।
5. परामर्श का दूसरा दौर ...... को प्रारंभ होना निर्धारित हैं ।

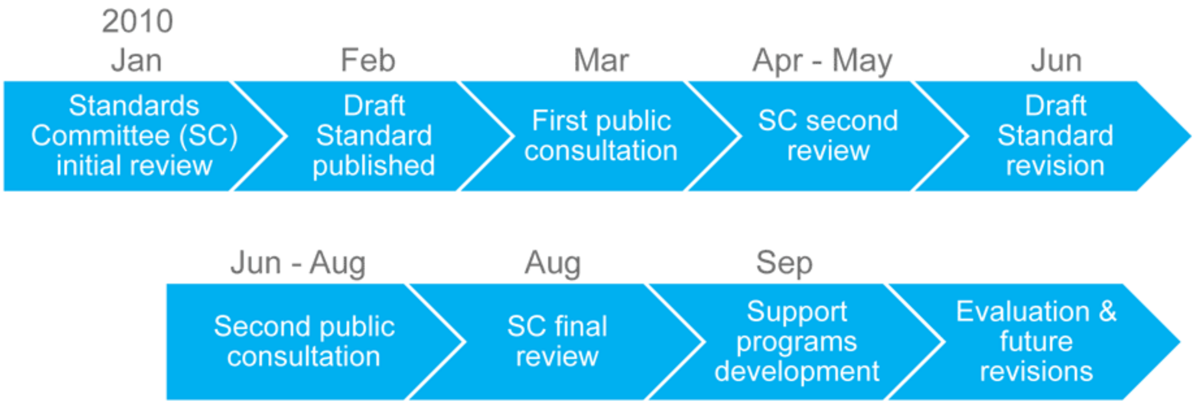

नये स्टेण्डर्ड के विकास के अगले चरण :

1. स्टेण्डर्ड कमेटी, दूसरे सार्वजनिक परामर्श के नतीजों की समीक्षा करेगी, अन्तिम संशोधन करेगी और नये स्टेण्डर्ड पर हस्ताक्षर करेगी । (अगस्त 2010)
2. समस्त गुडवीव उत्पादक देशों में नये मानकों को लागू करेंगी । (तृतीय त्रैमास 2010)
3. एक व्यक्तिगत निरीक्षण संस्था की नियुक्ति की पुष्टि करेगी जो रजिस्टर्ड उत्पादकों के यहां जाएगी और जांच करेगी कि वे नये मानकों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं । (चतुर्थ त्रैमास 2010)
4. नये स्टेण्डर्ड के साथ होने वाली प्रगति का मूल्यांकन जिसमें निर्यात करने वाले/उत्पादन करने वाले तथा आयात करने वाले/उपभोग करने वाले देश, दोनो में नये स्टेण्डर्ड के प्रभाव का वार्षिक मूल्यांकन शामिल हैं । इस मूल्यांकन में :
   अ) नये लेबल द्वारा प्राप्त मार्केट शेयर
   ब) समूचे उद्योग में नये स्टेण्डर्ड के इस्तेमाल में होने वाली प्रगति
   स) नये स्टेण्डर्डके सर्वोच्च स्तरों की पूर्ति में उत्पादकों द्वारा की गई प्रगति
   द) समूचे उद्योग में कार्य की स्थितियों में आने वाले सामान्य बदलाव
   इ) अन्य उत्पादक देशों में नये स्टेण्डर्ड के इस्तेमाल के विस्तार में दिलचस्पी, और
   फ) उपभोक्ताओं के बीच गुडवीव लेबर की जानकारी
5. प्रत्येक गुडवीव उत्पादक देश इन्हें लागू किए जाने के अपने प्रयासों के अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय विभिन्नताओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्टेण्डर्ड के लिए प्रस्तावित कर सकता है । (2010–2011)
6. ISEAL Alliance का एक पूर्ण मेम्बर बनना । (जून 2011)
7. एससी नियमित तौर पर मूल्यांकन तथा स्टेण्डर्ड अपडेट्स करेगी । (शुरू में 6 महीने के बाद और इसके बाद हर 2 साल में)

सार्वजनिक परामर्श में सहयोग

इच्छुक पक्षकार परामर्श के लिए अपनी टिप्पणियों को www.GoodWeave.net पर ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं, ईमेल द्वारा standards@goodweave.net पर भेज सकते हैं या एक गुडवीव कार्यालय में किसी भी गुडवीव उत्पादक या आयातक देश से संपर्क करते हुए भी वे ऐसा कर सकते हैं । प्रक्रिया तथा इसके साथ ही स्टेण्डर्ड के मसौदे की विषय सामग्री पर प्राप्त होने वाली टिप्पणियों का हार्दिक स्वागत हैं ।

दस्तावेज : गुडवीव स्टेण्डर्ड डेवलपमेन्ट प्रोसेस पब्लिक समरी | श्रोता : जनता
लेखक : बिको नागरा | दिनांक : जून, 2010